RBS No. 4/2012

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

No: 2010/RS(G)/363/1 New Delhi, dated: 5.7.2012

The General Manager, All Indian Railways & PUs including NF(C).
The General Manager, CORE, Allahabad.
The General Manager, Metro Railway, Kolkata.
The Director General, RDSO, Lucknow & Railway Staff College, Vadodara.
CAO/Workshop Projects organization, 1st Floor, Chamber Bhawan, JC Road, Patna-800001.
CAO/DMW, Patiala and COFMOW, New Delhi.
CAO/RCF/RBL, Old TA Building, Kishanganj, Delhi,
MD/All Railway PSUs, KRCL, MRVC
CAO/All autonomous entity under Ministry of Railways

Sub: Public Procurement Policy for goods produced and services rendered by Micro and Small Enterprises (MSEs) by Central Ministries/Departments/Public Sector Undertakings (PSUs).

In exercise of the powers conferred on it in Section 11 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act 2006, the Central Government, by Order, notified the Public Procurement Policy in respect of procurement of goods and services, produced and provided by micro and small enterprises, by its Ministries, Departments and Public Sector Undertakings. The copy of notification No.503 dated 23.3.2012, as printed in the Gazette of India, is enclosed for guidance and compliance.

1.1 The Public Procurement Policy rests upon the core principles of competitiveness, adhering to sound procurement practices and execution of orders for supply of goods or services in accordance with a system which is fair, equitable, transparent, competitive and cost effective.

1.2 The Policy envisages extending certain benefits/preferential treatment to MSEs and making efforts for development of appropriate vendors and enhancement of their participation in government procurements. In order to avail themselves of such benefits and preferential treatment, the MSEs must be registered with any of the following:-

(i) District Industries Centers
(ii) Khadi and Village Industries Commission
(iii) Khadi and Village Industries Board
(iv) Coir Board
(v) National Small Industries Corporation
(vi) Directorate of Handicraft and Handloom
(vii) Any other body specified by Ministry of MSME

Santosh Mittal

2. In pursuance of the Public Procurement Policy on MSE, it has been decided that :-

(i) Tender sets shall be provided free of cost to MSEs registered with the above agencies for the item tendered.

(ii) MSEs registered with the above agencies for the item tendered will be exempted from payment of Earnest Money.

(iii) In tenders, participating MSEs quoting a price within price band of L1+15% shall be allowed to supply a portion of the requirement by bringing down their price to L1 price in a situation where L1 price is from someone other than a MSE and such MSEs can be together ordered upto 20% of the total tendered value.

(iv) Every central Ministry or Department or Public Sector Undertaking shall set an annual goal of procurement from Micro and Small Enterprises from the financial year 2012-13 and onwards, with the objective of achieving an overall procurement of minimum of 20 %, of total annual purchases of products produced and services rendered by Micro and Small Enterprises in a period of three years. After a period of three years i.e. from 01-04-2015, overall procurement goal of minimum 20 % shall be mandatory. Annual goal of procurement also include subcontracts to Micro and Small Enterprises and consortia of Micro and Small Enterprises formed by National Small Industries Corporation. 20% out of this 20% (i.e., overall 4%) of procurement of goods and services will be from MSEs owned by Scheduled Castes or Scheduled Tribes (SC/ST) entrepreneurs. In the event of failure of such MSEs to participate in the tender process or meet tender requirements and L1 price, 4% sub-target of procurement earmarked from MSEs owned by SC/ST entrepreneurs shall be met from other MSEs .

(v) Ministries or Departments or PSUs shall continue to procure 358 items (Appendix to the Notification) from Micro and Small enterprises, which have been reserved for exclusive purchase from them.

2.1 While computing the overall achievement against the 20% goal, the computation shall also include the procurement and sub-contract made from MSEs by

(a) large scale vendors of Railway units and

(b) consortia of MSEs (as vendors to Rly. Units) formed by NSIC.

3. In order to extend the benefit/preferential treatment to eligible MSEs, suitable conditions may be included in the bid document as indicated below:-

(a) "Para 2(i) to 2(iii) above".

(b) (I) "MSEs who are interested in availing themselves of these benefits will enclose with their offer the proof of their being MSE

Santosh Mittal

AVM

registered with any of the agencies mentioned in the notification of Ministry of MSME indicated below:

(i) District Industries Centers
(ii) Khadi and Village Industries Commission
(iii) Khadi and Village Industries Board
(iv) Coir Board
(v) National Small Industries Corporation
(vi) Directorate of Handicraft and Handloom
(vii) Any other body specified by Ministry of MSME.

(II)The MSEs must also indicate the terminal validity date of their registration.

Failing (I) & (II) above, such offers will not be liable for consideration of benefits detailed in MSE notification of Government of India dated 23.3.12".

4. Further, in order that the required information as desired by the MSE policy is effectively tapped, all vendor approving/registering units are hereby directed to immediately seek the following information from the vendors approved/registered by them and incorporate in their database-

(a) Category of vendors as below:-
  (i) Micro Enterprises
  (ii) Small Enterprises

(b) Each of the above categories must further be sub-classified under the following categories:-
  (i) Enterprises owned by Scheduled Castes.
  (ii) Enterprises owned by Scheduled Tribes.
  (iii) Enterprise owned by other than above two categories.

(c) For a vendor to get classified as a Micro Enterprise and Small Enterprise, the vendor must submit documentary proof of being registered with any of the agencies indicated in para 1.2 and also the terminal date of validity of the registration:

5. Railways shall capture and report the data of procurement from MSEs (indicating separately the value of procurement from MSEs owned by SC/ST) to Railway Board at the end of each financial year along with the annual figures. The value of procurement from MSEs will include the direct procurement from MSEs plus the sub-contracting given by large scale vendors/consortia of MSEs to their MSE sub-contractors (as indicated in Para 2.1 above).

6. This supersedes the existing policy of price preference and benefits to Small Scale Industries being followed till now.

Santosh Mittal   AM

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board.

Please acknowledge receipt.

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No: 2010/RS(G)/363/1 **New Delhi, dated: 5.7.2012**

Copy to:
1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units.
2. PCEs, All Indian Railways & Production Units, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
3. CMEs , CEEs, CSTEs , All Indian Railways & Production Unit, WPO/Patna, RCF/RBL.
4. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
5. The Director of Audit, All Indian Railways.

for Financial Commissioner / Railways

No: 2010/RS(G)/363/1 **New Delhi, dated: 5.7.2012**

Copy to:
1. The COSs, All Indian Railways & PUs including NF(C).
2. The COS, Metro Railway, Kolkata.
3. The COS, COFMOW, New Delhi.
4. The COS, CORE, Allahabad.
5. The COS, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, 4th Floor, Sector-11, CBD, Belapur, Navi Mumbai-400614.
6. The COS, Mumbai Rail Vikas Corporation, 2nd Floor, Church Gate station Building, Mumbai-400020.
7. CMM/RCF/RBL, Kishanganj, Delhi,
8. COS, Workshops Project Organisation, Patna
9. The Directors-
   a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad.
   b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur.
   c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik.
   d. Sr.Prof. (Material Management), Railway Staff College, Vadodara.
   e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune.
   f. Indian Railway Institute of Logistics & Materials Management, IDA House, Sector IV, R.K.Puram, New Delhi
10. Chairman, Railway Rates Tribunal, Chennai.
11 Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata.
12. Executive Director (Stores), RDSO, Manak Nagar, Lucknow.
13. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow.
14. ED(QA)/RITES, RITES Bhavan, Sector-29, Gurgaon, Haryana.
15. CPM, CRIS, Chanakya Puri, New Delhi.
16. GM(Procurement System), CRIS, Chanakya Puri, New Delhi.

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

आर॰बी॰एस सं॰ 4/2012

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2010/आरएस (जी)/363/1 **नई दिल्ली, दिनांक: 5.07.2012**

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण) सहित ।
महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद।
महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता।
महानिदेशक, अ.अ.मा.स. लखनऊ एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
मु.प्र.अ./कारखाना परियोजना संगठन, पहला तल, चेम्बर भवन, जे.सी. रोड, पटना-800 001.
मु.प्र.अ./डीजल आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला एवं कॉफमो, नई दिल्ली।
मु.प्र.अ./आरसीएफ/आरबीएल, ओल्ड टीए बिल्डिंग, किशनगंज, दिल्ली।
प्रबंध निदेशक/रेलवे के सभी पीएसयू, केआरसीएल, एमआरवीसी।
मु.प्र.अ./रेल मंत्रालय के अंतर्गत सभी स्वायत्तशासी संगठन।

विषय: केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006 की धारा 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के आदेश के तहत अपने मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित तथा प्रदान की गई/गए माल और सेवाओं की खरीद संबंधी सार्वजनिक प्राप्ण नीति अधिसूचित की गई है। भारत के राजपत्र में दिनांक 23.03.2012 को मुद्रित अधिसूचना सं. 503 की प्रति मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए संलग्न है।

1.1 सार्वजनिक प्रापण नीति में प्रतिस्पर्धा के प्रमुख सिद्धांतों का पालन किया जाता है जिसमें स्पष्ट, समान, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत प्रभावी प्रणाली के अनुसार वस्तुओं अथवा सेवाओं की सप्लाई के लिए ठोस प्रापण कार्यपद्धतियों और आदेशों का अनुपालन किया जाता है।

1.2 इस नीति में एमएसई के लिए कतिपय लाभ/अधिमान्य ट्रीटमेंट प्रदान करने और उपयुक्त वेन्डरों के विकास के लिए प्रयास करने तथा सरकारी प्रापणों में उनकी भागीदारी को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इन लाभों और अधिमान्य ट्रीटमेंट स्वयं प्राप्त करने के उद्देश्य से एमएसई को निम्नलिखित में से किसी एक के पास पंजीकृत होना चाहिए:

(i) जिला औद्योगिक केन्द्र
(ii) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
(iii) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
(iv) कॉयर बोर्ड
(v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
(vi) हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय
(vii) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य निकाय

2. एमएसई में सार्वजनिक प्रापण नीति के अनुसरण में यह विनिश्चय किया गया है कि:-

(i) निविदा की जाने वाली मद के लिए उक्त एजेंसियों के साथ पंजीकृत एमएसई को निविदा सैट निःशुल्क मुहैया कराए जाएंगे।

(ii) उक्त एजेंसियों के पास पंजीकृत एमएसई को निविदा की जाने वाली मद के लिए अग्रिम धन के भुगतान से मुक्त रखा जाए।

(iii) निविदाओं में, भाग लेने वाले एमएसई, जिन्होंने एल 1 + 15% के प्राइज़ बैण्ड की सीमा के भीतर ही कीमत का उल्लेख किया होगा, को अपनी कीमत को एल 1 प्राइज़ तक कम करने पर ही मांग के एक हिस्से की सप्लाई की अनुमति मिलेगी, जहां एल 1 प्राइज़ किसी अन्य एमएसई से अलग होगा और ऐसे एमएसई कुल निविदा कीमत के 20% तक मिलकर आदेश दे सकते हैं।

(iv) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय अथवा विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वित्तीय वर्ष 2012-13 से और उसके आगे से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों की तीन वर्ष की अवधि में कुल वार्षिक खरीद और प्रदान की गई सेवाओं के न्यूनतम 20% के कुल प्रापण को प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से प्रापण के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 1.4.2015 के बाद न्यूनतम 20% का समग्र प्रापण लक्ष्य अनिवार्य होगा। प्रापण के वार्षिक लक्ष्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के सब-कांट्रेक्ट और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संघ शामिल हैं। वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण के 20% में से 20% (अर्थात् कुल 4%) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) उद्यमों के स्वामित्व वाले एमएसई से होंगे। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अथवा निविदा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और एल 1 कीमत में इन एमएसई के असफल रहने की स्थिति में एससी/एसटी उद्यमों के स्वामित्व वाले एमएसई से निर्धारित प्रापण के 4% के उप लक्ष्य को अन्य एमएसई से पूरा किया जाएगा।

(v) मंत्रालय अथवा विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 358 मदों (अधिसूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट) का प्रापण जारी रखेंगे, जिन्हें केवल उन्हीं से खरीदे जाने के लिए ही आरक्षित किया गया है।

2.1 20% लक्ष्य की तुलना में कुल उपलब्धियों की गणना करते समय एमएसई से निम्नलिखित द्वारा किए गए प्रापण और सब-कांट्रेक्ट को भी गणना में शामिल किया जाएगा:-

(क) रेल इकाइयों के बड़े पैमाने के वेन्डर और

(ख) एमएआईसी द्वारा गठित एमएसई के संघ (रेल इकाइयों में वेन्डर के रूप में)

3. अर्हक एमएसई को लाभ/अधिमान्य ट्रीटमेंट देने के उद्देश्य से बोली दस्तावेज में उपयुक्त शर्तों को शामिल किया जाए जिन्हें नीचे दर्शाया गया है:-

(क) "उक्त पैरा 2(i) से 2(iii) तक"

(ख) (I) वे एमएसई जो इन लाभों को स्वयं प्राप्त क्ररने के इच्छुक हैं, उन्हें एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित एजेंसियों में से किसी एक के साथ एमएसई के रूप में पंजीकृत होने का साक्ष्य आमंत्रण के साथ प्रस्तुत करना होगा:-

(i) जिला औद्योगिक केन्द्र

(ii) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

(iii) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
(iv) कॉयर बोर्ड
(v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
(vi) हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय
(vii) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य निकाय

(II) एमएसई अपने पंजीकरण की वैद्यता समाप्त होने की तारीख का भी उल्लेख करेंगे।

उपर्युक्त (I) और (II) के पूरा न होने की स्थिति में ऐसे प्रस्ताव दिनांक 23.03.2012 की भारत सरकार की एमएसई की अधिसूचना में दिए गए लाभों पर विचार किए जाने के दायी नहीं होंगे"।

4. इसके अलावा, एमएसई नीति द्वारा यथा वांछित अपेक्षित सूचना का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सभी वेंडर अनुमोदन करने वाली/पंजीकरण करने वाली इकाइयों को उनके द्वारा अनुमोदित/पंजीकृत वेंडरों से निम्नलिखित सूचना तत्काल मांगने के लिए और उनके डाटा बेस में समावेश किए जाने के लिए निर्देश दिया जाता है:-

(क) वेंडरों की श्रेणी जो नीचे दी गई है:-
(i) सूक्ष्म उद्यम
(ii) लघु उद्यम

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणियों को निम्नलिखित श्रेणियों में भी उप-वर्गीकृत किया जाए:-
(i) अनुसूचित जाति के स्वामित्व वाले उद्यम
(ii) अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यम
(iii) उपर्युक्त दो श्रेणियों के अलावा अन्य के स्वामित्व वाले उद्यम

(ग) किसी वेन्डर को सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत होने के लिए उस वेन्डर को पैरा 1.2 में दर्शाई गई किसी एक एजेन्सी के पास पंजीकरण का एक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा और पंजीकरण की वैधता समाप्त होने की तिथि का भी उल्लेख करना होगा।

5. रेलें, प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में वार्षिक आंकड़ों सहित एमएसई से प्रापण के आंकड़े प्राप्त करके (एससी/एसटी के स्वामित्व वाली एमएसई से प्रापण की कीमत को पृथक रूप से दर्शाया जाए) इसे रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत करेंगी। एमएससी से प्रापण की कीमत में एमएसई से प्राप्त प्रत्यक्ष खरीद और बड़े पैमाने के वेंडरों /एमएसई के संघ द्वारा दिए गए सब-कांट्रेक्ट को उनके एमएसई सब-कंट्रेक्टर शामिल हैं (जैसा कि उपर्युक्त पैरा 2.1 में दर्शाया गया है)।

6. इससे मूल्य अधिमान्य की मौजूदा नीति और लघु उद्योगों को दिए जा रहे लाभों का अधिक्रमण हो जाता है जिसका अभी तक अनुपालन किया जा रहा था।

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)-I
रेलवे बोर्ड

STORES-RS (G)